भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. 250
18 मार्च, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा दावों का भुगतान

***250. श्रीमती प्रतिभा सुरेश धानोरकरः**

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के तहत बीमा दावों की राशि लाभार्थियों को समय पर जारी नहीं की जाती है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा बीमा दावों का समय पर भुगतान करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है; और

(ग) क्या सरकार का 30 दिनों के भीतर फसल नुकसान का आकलन करने और किसानों के बीमा दावों का निपटान करने का विचार है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान)

(क) से (ग): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

"प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा दावों का भुगतान" के संबंध में दिनांक 18.03.2025 को लोक सभा में उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 250 के भाग (क) से (ग) के संबंध में उल्लिखित विवरण।

(क) से (ग): प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पी.एम.एफ.बी.वाई.) के प्रावधानों के अनुसार, क्षेत्र आधारित/व्यापक आपदा/सीजन समाप्ति के दावों के मामले में, राज्य सरकार को अंतिम फसल कटाई के एक महीने के भीतर राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (एन.सी.आई.पी.) पर वास्तविक और थ्रेसहोल्ड उपज का डेटा प्रस्तुत/अपलोड करना होता है। अंतिम दावों की गणना, एन.सी.आई.पी. पर की जानी है और एन.सी.आई.पी. पर दावों की गणना से 21 दिनों के भीतर भुगतान किया जाना है।

इसके अतिरिक्त, स्थानीय आपदाओं और फसल कटाई के बाद के नुकसान के मामले में जहां दावों की गणना और भुगतान वैयक्तिक खेत स्तर पर किया जाता है, वहां दावों को राज्य के आदेश/घटना की अधिसूचना के तीस दिनों के भीतर संवितरित किया जाना है।

बीमा मॉडल का चयन, बोली (बिडिंग) की पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से बीमा कंपनियों का चयन, किसानों का नामांकन, स्वीकार्य दावों की गणना के लिए फसल उपज/फसल नुकसान का आकलन जैसे सभी प्रमुख कार्य संबंधित राज्य सरकार या राज्य सरकार के अधिकारियों और संबंधित बीमा कंपनी की संयुक्त समिति द्वारा किए जा रहे हैं। योजना के उचित निष्पादन के लिए योजना के परिचालन दिशा-निर्देशों (ऑपरेशनल गाइडलाइन्स) में प्रत्येक स्टेकहोल्डर की भूमिका और जिम्मेदारियों को परिभाषित किया गया है।

अधिकांश दावों का निपटान बीमा कंपनियों द्वारा योजना के परिचालन दिशा-निर्देशों के तहत निर्धारित समय-सीमा के भीतर किया जाता है। हालांकि, पी.एम.एफ.बी.वाई. के कार्यान्वयन के दौरान, बैंकों द्वारा बीमा प्रस्तावों को गलत/देरी से प्रस्तुत करने के कारण दावों का भुगतान न किए जाने, देरी से भुगतान किए जाने या कम भुगतान किए जाने, उपज के आंकड़ों में विसंगति और इसके परिणामस्वरूप राज्य सरकार और बीमा कंपनियों के बीच विवाद, राज्य सरकार के हिस्से की राशि प्रदान करने में देरी, बीमा कंपनियों द्वारा पर्याप्त कर्मियों की तैनाती न किए जाने आदि के बारे में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं जिन पर योजना के प्रावधानों के अनुसार उचित रूप से कार्रवाई की गई।

सरकार ने इस योजना के कार्यान्वयन को मजबूत करने, पारदर्शिता लाने और दावों का समय पर निपटान सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है:

- सरकार ने **राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (एन.सी.आई.पी.)** को सब्सिडी भुगतान, समन्वय, पारदर्शिता, सूचना के प्रसार और सेवाओं की डिलिवरी जैसे किसानों के डायरेक्ट ऑनलाइन नामांकन, बेहतर निगरानी के लिए बीमित किसानों के वैयक्तिक विवरण को अपलोड/प्राप्त

करने और किसानों को उनके बैंक खाते में सीधे इलेक्ट्रॉनिक रूप से दावा राशि के भुगतान हेतु डेटा के सिंगल सोर्स के रूप में विकसित किया है।

- दावों के भुगतान की प्रक्रिया की सख्ती से निगरानी करने हेतु खरीफ 2022 से **'डिजिक्लेम मॉड्यूल'** नामक एक समर्पित मॉड्यूल आरंभ किया गया है। इसमें राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (एन.सी.आई.पी.) को सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पी.एफ.एम.एस.) और बीमा कंपनियों की लेखा प्रणाली के साथ एकीकृत करना शामिल है ताकि खरीफ 2024 से सभी दावों को समय पर और पारदर्शी ढंग से प्रॉसेस किया जा सके। यदि बीमा कंपनी द्वारा समय पर भुगतान नहीं किया जाता है तो एन.सी.आई.पी. के माध्यम से ऑटो-कैल्युकेट करते हुए 12% का जुर्माना स्वचालित रूप से लगा दिया जाता है।
- चूंकि यह योजना, राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित की जाती है इसलिए बीमित किसानों के दावों से संबंधित शिकायतों सहित सभी प्रकार की शिकायतों को हल करने के लिए योजना के संशोधित परिचालन दिशा-निर्देशों (ऑपरेशनल गाइडलाइन्स) में स्तरीकृत शिकायत निवारण तंत्र अर्थात जिला स्तरीय शिकायत निवारण समिति (डी.जी.आर.सी.), राज्य स्तरीय शिकायत निवारण समिति (एस.जी.आर.सी.) का प्रावधान किया गया है। इन समितियों को परिचालन दिशा-निर्देशों के माध्यम से विस्तृत अधिदेश दिए गए हैं ताकि शिकायतों की सुनवाई की जा सके और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उनका निपटान किया जा सके।
- शिकायत निवारण तंत्र को और बेहतर बनाने के लिए कृषि रक्षक पोर्टल और हेल्पलाइन (के.आर.पी.एच.) विकसित की गई है। एक अखिल भारतीय टोल फ्री नंबर 14447 शुरू किया गया है और इसे बीमा कंपनियों के डेटाबेस से जोड़ा गया है जहां किसान अपनी शिकायतें/मुद्दे उठा सकते हैं। इन शिकायतों/मुद्दों के समाधान के लिए समय-सीमा भी तय की गई है।
- इसके अतिरिक्त, योजना के कार्यान्वयन के तहत प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने की दिशा में, **सी.सी.ई.-एग्री ऐप** के माध्यम से उपज डेटा/फसल कटाई प्रयोग (क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट्स- सी.सी.ई.) डेटा को कैप्चर करने और इसे एन.सी.आई.पी. पर अपलोड करने, बीमा कंपनियों को सी.सी.ई. के संचालन को देखने की अनुमति देने, एन.सी.आई.पी. के साथ राज्य भूमि रिकॉर्ड को एकीकृत करने आदि जैसे विभिन्न कदम पहले ही उठाए जा चुके हैं ताकि किसानों के दावों का समय पर निपटान हो सके।

इस योजना के अंतर्गत, वर्ष 2023-24 से फसल क्षति एवं नुकसान के वस्तुगत आकलन तथा पारदर्शिता हेतु निम्नलिखित प्रौद्योगिकियों को भी कार्यान्वित किया गया है:

i. **यस-टेक (यील्ड एस्टिमेशन सिस्टम बेस्ड ऑन टेक्नॉलजी) -** इस तकनीक द्वारा उपज के आकलन के साथ-साथ निष्पक्ष और सटीक फसल उपज अनुमान लगाने के लिए धीरे-धीरे रिमोट-सेंसिंग आधारित उपज अनुमान की ओर बढ़ा जा रहा है। यह पहल, खरीफ 2023 से धान और गेहूं की फसलों के लिए शुरू की गई थी जिसमें उपज अनुमान में 30% महत्व अनिवार्य रूप से यस-टेक से प्राप्त उपज को दिया जाता है। खरीफ 2024 सीजन से सोयाबीन की फसल को भी इसमें शामिल कर लिया गया है।

ii. **विंड्स (वेदर इन्फर्मेशन नेटवर्क ऐंड डेटा सिस्टम)-** यह तकनीक, जी.पी. और ब्लॉक स्तर पर हाइपर-लोकल मौसम डेटा एकत्र करने के लिए मौजूदा नेटवर्क के 5 गुना के बराबर ऑटोमैटिक वेदर स्टेशन्स (ए.डब्ल्यू.एस.) और ऑटोमैटिक रेन गेजेज (ए.आर.जी.) के नेटवर्क को सेट-अप करने के लिए है। इसे भारत मौसम विज्ञान विभाग (आई.एम.डी.) के साथ समन्वय करते हुए डेटा की इंटरऑपरेबिलिटी और शेयरिंग के साथ ए.डब्ल्यू.एस. और ए.आर.जी. के एक राष्ट्रीय एकीकृत नेटवर्क में फीड किया जाएगा। विंड्स, न केवल यस-टेक के लिए बल्कि सूखा और आपदा के प्रभावी प्रबंधन, सटीक मौसम पूर्वानुमान संबंधी डेटा प्रदान करता है और बेहतर पैरामीट्रिक बीमा उत्पाद भी देता है।

विभाग, सभी स्टेकहोल्डर्स के साथ साप्ताहिक रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंस, वन-टू-वन मीटिंग तथा राष्ट्रीय समीक्षा सम्मेलनों के माध्यम से दावों के समय पर निपटान सहित बीमा कंपनियों के कामकाज की नियमित निगरानी कर रहा है।

प्राप्त अनुभव, विभिन्न स्टेकहोल्डर्स के विचारों के आधार पर तथा बेहतर पारदर्शिता, जवाबदेही, किसानों को दावों का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने और योजना को अधिक किसान हितैषी बनाने के उद्देश्य से, सरकार ने समय-समय पर पी.एम.एफ.बी.वाई. के परिचालन दिशा-निर्देशों को व्यापक रूप से संशोधित किया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि योजना के तहत पात्र लाभ समय पर और पारदर्शी तरीके से किसानों तक पहुंच सकें।

*****